

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302006

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले.प्रशि./2025/अलेसे-III / 739

दिनांक:- 15/2/2026

आदेश संख्या:- 535/2025-26

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों को पब्लिक फाईनेंशियल मेनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (PFMTI), जयपुर के तत्वाधान में महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एण्ड सोशल साइन्सेज, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर में दिनांक 16.02.2026 से 27.03.2026 तक तक आयोजित होने वाले कनिष्ठ लेखाकार पद के पांच सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थिति देने हेतु आदेशित किया जाता है:-

S.No.	Roll No.	Name Of Junior Accountant	Name Of Present Office	Training Centre
1	2	3	4	5
1.	757615	AKHILESH MEENA	DIRECTOR - 846 , MEDICAL AND HEALTH , JAIPUR , JAIPUR	PFMTI JAIPUR
2.	762680	VIMALA KUMARI SAINI	DIRECTOR - 846 , MEDICAL AND HEALTH , JAIPUR , JAIPUR	PFMTI JAIPUR
3.	733939	RAVINA MUWAL	SOCIAL SECURITY OFFICER - , SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT , PALSANA,SIKAR 8002100	PFMTI JAIPUR
4.	769668	SAPANA KUMARI	SOCIAL SECURITY OFFICER - , SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT , NECHHWA, SIKAR 8002099	PFMTI JAIPUR
5.	735117	SANDEEP	CBE0 - 1606 , EDUCATION (ELEMENTARY) , KISHANGARHBAS	PFMTI JAIPUR
6.	714719	ARIHANT JAIN	CBE0, SMSA - 8000188 , RAJASTHAN SCHOOL EDUCATION COUNCIL SSA (EX CADRE POSTS) , WAIR , BHARATPUR	PFMTI JAIPUR
7.	733419	YOGESH KUMAR	TREASURY OFFICER- 8001595 ,TREASURIES AND ACCOUNTS , KHAIRTHAL TIJARA	PFMTI JAIPUR
8.	739136	DEEPA GUPTA	TREASURY OFFICER- 8001595 ,TREASURIES AND ACCOUNTS , KHAIRTHAL TIJARA	PFMTI JAIPUR
9.	744397	VIKRAM SAINI	INCHARGE P.V. PARTY - 7000068 , INSPECTION , UDAIPUR , UDAIPUR	PFMTI JAIPUR
10.	727550	KAMLESH KUMAR KUMAWAT	INCHARGE P.V. PARTY - 7000068 , INSPECTION , UDAIPUR , UDAIPUR	PFMTI JAIPUR
11.	776679	RAKESH KUMAWAT	CDPO - 23122 , INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICES , JAITARAN , BEAWAR	PFMTI JAIPUR
12.	776586	RAMNIVAS TAK	BDO PANCHAYAT SAMITI - 2053 , PANCHAYATI RAJ , JAITARAN , BEAWAR	PFMTI JAIPUR
13.	779060	SUNIL TAK	SOCIAL SECURITY OFFICER - 3000474 , SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT , RAIPUR , BEAWAR	PFMTI JAIPUR
14.	709729	JAYA VACHHANI	DISTRICT AND SESSION JUDGE (DISTRICT) - 24822 , LAW DEPARTMENT , JAIPUR , JAIPUR	PFMTI JAIPUR
15.	723110	SHAKTI SINGH	C.E.O. ZILA PARISHAD (PANCHAYAT CELL) - 2084 , PANCHAYATI RAJ , JAIPUR , JAIPUR	PFMTI JAIPUR
16.	739821	LOKESH KUMAR BAIRWA	MEMBER SECRETARY - 1000342 , POLLUTION CONTROL BOARD (EX CADRE POSTS) , JAIPUR , JAIPUR	PFMTI JAIPUR
17.	758277	PRIYANKA VERMA	MANAGING DIRECTOR, RSRTC, HQ JAIPUR	PFMTI JAIPUR
18.	752496	KAUSHLYA MEENA	DIRECTOR - 995 , STATE INSURANCE AND GPF , JAIPUR , JAIPUR	PFMTI JAIPUR
19.	735726	VIKASH SAINI	PROJECT DIRECTOR - 1000337 , NRHM (EX CADRE POSTS) , JAIPUR , JAIPUR	PFMTI JAIPUR

उक्त प्रशिक्षण की अवधि पांच सप्ताह की होगी तथा प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा एवं प्रतिदिन 06 व्याख्यान (लेक्चर) होंगे। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण पूर्णतः गैर-आवासीय है। यद्यपि कार्यदिवसों हेतु मध्याह्न भोजन (Working Lunch) सभी प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।

उक्त प्रशिक्षण अवधि में यात्रा भत्ता नियम के अध्याय XIII के नियम 34(2) अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ता देय नहीं होगा। परन्तु मील भत्ता नियमानुसार देय होगा।

उपरोक्त सभी कार्मिकों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकारों को निदेशालय स्तर से दिनांक 16.02.2026 को मध्याह्न पश्चात् कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 17.02.2026 को प्रातः 09:30 बजे संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देना सुनिश्चित करावें। उक्त प्रशिक्षण अनिवार्य है इसलिए किसी प्रकार का शिथिलन दिया जाना संभव नहीं है।

प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।

सभी कनिष्ठ लेखाकारों को निर्देशित किया जाता है कि TPMS के Online Training (MOOC) पर "Foundation Course on Public Procurement" को भी प्रशिक्षण अवधि में पूर्ण करें।

Yashwanth
(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)
दिनांक:- 16/2/26

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले.प्रशि./2025/अलेसे-III /727
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पब्लिक फाईनेंशियल मेनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
4. पाठ्यक्रम निदेशक/प्रभारी, पब्लिक फाईनेंशियल मेनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके वर्तमान विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करावें।
5. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें क्योंकि किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।
6. सम्बन्धित कनिष्ठ लेखाकार को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथी/समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को अविलम्ब मिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने के प्रतिफल के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
7. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
8. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
9. रक्षित/निजी पत्रावली।

Yashwanth
(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)